रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, वीरवार, मार्च 8, 1984/फाल्गुन 18, 1905
No. 66] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 1984/PHALGUNA 18, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

अधिसूचनाएं

का. आ. नि. 206(अ) :—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 (1983 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 मार्च, 1984 को ऐसी तारीख नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. 25-7/82-सी.ए.-2(ओडीबी)/सीए6(1)]

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1984

G.S.R. 206(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983 (29 of 1983), the Central Government hereby appoints the 8th day of March, 1984 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 25-7/82-CA. II(ODB)/CA. VI(6)]

(तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग विकास नियंत्रण)

सा० का० नि० 207(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 (1983 का 29) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय तिलहन वनस्पति अधिनियम, 1983 (1983 का 29) अभिप्रेत है,

(ख) "समिति" से बोर्ड द्वारा धारा 8 के अधीन नियुक्त कोई समिति अभिप्रेत है;

(ग) "सचिव" से धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

बोर्ड और उसके सदस्य

3. सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति :—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (च), (छ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) और (ण) में विनिर्दिष्ट हितों के प्रतिनिधि नियुक्त करने से पहले, यदि वह ठीक समझे, ऐसा परामर्श कर सकेगी।

(2) यदि बोर्ड के पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है या उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने त्यागपत्र दे दिया है या वह पद से हटा दिया जाता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है :

परन्तु यदि रिक्ति ऐसी है जिसे पद छोड़ने वाला सदस्य, धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन संसद की अपनी सदस्यता के आधार पर धारण किए हुए था तो उस रिक्ति में अगले व्यक्ति की नियुक्ति संसद के उस सदन द्वारा जिसका पद छोड़ने वाला व्यक्ति सदस्य था, नये निर्वाचन के आधार पर की जाएगी।

4. सदस्यों की पदावधि:—(1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय—

(i) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ii) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित किया गया सदस्य, उस दशा में बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा जब वह संसद के उस सदन का, जिसके द्वारा वह इस प्रकार निर्वाचित किया गया था, सदस्य नहीं रह जाता है

(iii) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ठ), (ड), (ढ) और (ण) के अधीन नियुक्त किया गया सदस्य उस दशा में बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाएगा जब वह उस प्रवर्ग और हित का प्रतिनिधि नहीं रह जाता है जिससे वह इस प्रकार नियुक्त किया गया था :

परन्तु कोई सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन किसी आकस्मिक रिक्ति को भरे जाने के लिए नियुक्त व्यक्ति, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, रिक्ति न होने की दशा में पद धारण करने का हकदार होता।

5. त्यागपत्र:—(1) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य का पद उस तारीख से, जिस तारीख को उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, रिक्त हो जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट, बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में करेगा।

6. बोर्ड से हटाया जाना :—केन्द्रीय सरकार, ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी :—

(क) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ख) यदि वह अनुमोचित दिवालिया है ; या

(ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(घ) यदि वह अध्यक्ष की इजाजत के बिना बोर्ड के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है।

7. भारत से अनुपस्थिति :—बोर्ड का कोई सदस्य भारत से बाहर जाने से पहले—

(क) सचिव को भारत से अपने प्रस्थान और भारत को अपना प्रत्याशित वापसी की तारीख सूचित करेगा;

(ख) यदि वह छह मास से अधिक अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित रहना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र दे देगा।

8. सदस्यता—नामावली :—सचिव सदस्यों के नाम और उनके पतों का अभिलेख रखेगा।

9. पते में परिवर्तन:—सदस्य, उसके पते में होने वाले परिवर्तनों की सूचना सचिव को देगा और यदि वह पते में ऐसे परिवर्तन की सूचना देने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेखों में दर्ज उसका पता, सभी प्रयोजनों के लिए उसका पता समझा जाएगा।

अध्याय 3

बोर्ड/बोर्ड के अधीन समितियों के सदस्यों और बोर्ड द्वारा सहयोजित व्यक्तियों के यात्रा और अन्य भत्ते

10. बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों और धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन बोर्ड के साथ सहयोजित व्यक्तियों या धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन उसकी समितियों के सदस्य के रूप में सहयोजित सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते:—(1) बोर्ड या उसकी समितियों का कोई सदस्य या धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन बोर्ड के साथ सहयोजित कोई व्यक्ति या धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन किसी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कोई व्यक्ति, जो सरकारी सेवक नहीं है, बोर्ड के या उसकी सम्यकतः गठित समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या बोर्ड या संबद्ध समिति द्वारा उसे समनुदेशित किसी कर्तव्य के अनुपालन के लिए की गई किसी यात्रा की बाबत, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन, प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवक को अनुज्ञेय उच्चतम दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा :]

परन्तु ऐसे सदस्य को जो संसद सदस्य है या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य है, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का संदाय, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 या संबद्ध राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित विधि के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(2) बोर्ड द्वारा उसकी किसी तदर्थ समिति या किसी अन्य समिति में सेवा करने के लिए या बोर्ड के किसी अन्य कामकाज में उपस्थित होने के लिए विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट किसी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पदधारी द्वारा कोई यात्रा किए जाने की दशा में, बोर्ड उसे अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्तों का संदाय उन दरों पर करेगा जो उसे उस सरकार के, जिसमें वह तत्समय नियोजित है, नियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं।

(3) बोर्ड या उसकी समिति के किसी सदस्य या बोर्ड द्वारा सहयोजित किसी अन्य व्यक्ति या उसकी समिति द्वारा सहयोजित किसी व्यक्ति को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक वह यह प्रमाणित नहीं कर देता कि उसने उस यात्रा और विराम की यावत, जिसके लिए दावा किया गया है, किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(4) यात्रा भत्ता इन नियमों के अधीन हकदार किसी सदस्य को या किसी व्यक्ति को, उसके प्रायिक निवासस्थान से बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन के स्थान तक के लिए या उस स्थान तक के लिए जहां वह कामकाज में उपस्थित होने के लिए जाता है और वहां से उसके निवासस्थान तक वापस आने के लिए संदेय होगा :

परन्तु यदि यात्रा, उसके प्रायिक निवास-स्थान से भिन्न किसी स्थान से प्रारंभ होती है या वापसी यात्रा, उसके प्रायिक निवासस्थान से भिन्न किसी स्थान पर समाप्त होती है तो यात्रा भत्ता उस रकम तक, जो उसे तब संदेय होती जब यात्रा उसके प्रायिक निवास-स्थान से प्रारंभ होती या उसके प्रायिक निवास-स्थान पर समाप्त होती, या की गई वास्तविक यात्रा की बाबत संदेय रकम तक, इनमें जो भी कम है, सीमित होगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी सदस्य को उसके प्रायिक निवास-स्थान से भिन्न स्थानों से भी यात्रा भत्ता दे सकता है।

(5) सचिव, बोर्ड या उसकी किसी समिति के सदस्य के या बोर्ड के साथ सहयोजित किसी व्यक्ति या किसी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति के यात्रा और दैनिक भत्ते के प्रयोजन के लिए, नियंत्रक अधिकारी होगा।

11. सवारी भत्ता :—बोर्ड या बोर्ड की किन्हीं समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए या बोर्ड के किसी अन्य कामकाज में उपस्थित होने के लिए उन सदस्यों या व्यक्तियों को, जो यात्रा या दैनिक भत्ता लेते हैं, कोई सवारी भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु ऐसे किसी सदस्य या व्यक्ति को, जिसका निवास उस स्थान पर है जहां बोर्ड या किसी समिति का अधिवेशन होता है या जहां बोर्ड के किसी अन्य कामकाज का संचालन किया जाता है, उसके द्वारा सवारी पर उपगत वास्तविक व्यय, अधिक से अधिक दस रुपए प्रतिदिन के अधीन रहते हुए, संदत्त किया जा सकता है।

12. फीस का संदाय—बोर्ड द्वारा सहयोजित किसी व्यक्ति को या बोर्ड की किसी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने में या अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन में, यदाकदा किए जाने वाले या आन्तरायिक प्रकृति के किसी विशेष कार्य के लिए फीस के रूप में 1000 रुपए तक का संदाय किया जा सकता है :

परन्तु फीस की अनुज्ञेयता और उसकी मात्रा का प्रत्येक मामले में, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सुसंगत नियमों और आदेशों के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक व्यक्ति को किसी एक वर्ष में 1000 रुपए से ऊपर फीस, केवल अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से ही मंजूर की जा सकती है।

13. भारत से बाहर की गई यात्रा के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते आदि :—बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य को या बोर्ड के साथ सहयोजित किसी व्यक्ति को या किसी समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को, भारत से बाहर की गई किसी यात्रा के लिए बोर्ड यात्रा भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि बोर्ड या किसी समिति का कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, बोर्ड के हित में भारत से बाहर यात्रा करता है, तो वह ऐसी दरों पर यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार, भारत से बाहर उसके द्वारा भेजे जाने वाले किसी प्रतिनिधिमण्डल के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर मंजूर कर सकती है।

अध्याय 4

व्यय उपगत करने की शक्तियां

14 व्यय उपगत करने की शक्ति :—(1) बोर्ड, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्व और व्यय के संबंध में बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों के, जो तत्समय प्रवृत्त हों, अधीन रहते हुए, बजट में उपबंधित मदों पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई रकम के भीतर, ऐसा व्यय उपगत कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(2) बोर्ड उप शीर्षों और व्यय शीर्षों के बीच पुनर्विनियोजन कर सकता है।

(3) बोर्ड, किसी मद पर केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, भारत से बाहर कोई व्यय उपगत नहीं कर सकता है।

15. संविदाएं :—(1) बोर्ड, अधिनियम के अधीन उसे न्यस्त कृत्यों के निर्वहन के लिए कोई संविदा कर सकता है :

परन्तु—

(क) ऐसी प्रत्येक संविदा के लिए, जिसका विस्तार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए है या जिसमें एक लाख रुपए से अधिक का व्यय अन्तर्वलित है; और

(ख) फर्मों या विदेशी सरकारों से तकनीकी सहयोग या उनकी परामर्श-सेवा के लिए किए गए प्रत्येक करार या संविदा के लिए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी।

(2) संविदाएं बोर्ड पर तब तक आबद्धकर नहीं होंगी जब तक उन्हें कार्यपालक निदेशक या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निष्पादित नहीं करता है।

(3) कार्यपालक निदेशक या बोर्ड का कोई अधिकारी या उनका कोई सदस्य, बोर्ड द्वारा निष्पादित किसी हस्तान्तरण-पत्र या संविदा के अधीन व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा और ऐसे हस्तांतरण-पत्रों या संविदाओं के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व को बोर्ड के व्ययाधीन धन में से चुकाया जाएगा।

16. साधारण वित्तीय संव्यवहार :—इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, केन्द्रीय सरकार के तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय खजाना नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 और साधारण वित्तीय नियम, 1963 के उपबन्ध ऐसे उपान्तरणों या अनुकूलनों के अधीन जो बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से उनमें करे, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे।

17. कार्यपालक निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य :—(1) कार्यपालक निदेशक, बोर्ड के मुख्य अधिशासक के रूप में, बोर्ड के उचित कार्यकरण के लिए, बोर्ड की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए और अधिनियम के अधीन उपबंधित उसके कृत्यों के तथा इन नियमों के और बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) कार्यपालक निदेशक, इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस नियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को कर सकता है।

(3) कार्यपालक निदेशक को बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी मंजूर करने की शक्ति होगी और वह इस शक्ति का प्रत्यायोजन बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी शर्तों के जो वह ठीक समझे अधीन रहते हुए, कर सकता है।

(4) कार्यपालक निदेशक को—

(i) आकस्मिकताओं, पूर्ति और सेवाओं के लिए तथा बोर्ड के कार्यालय के अनुरक्षण और कार्यकरण के लिए वस्तुएं क्रय करने के लिए, ऐसी सीमाओं के भीतर जो बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएं, व्यय उपगत करने की; और

(ii) धारा 9 के अधीन उपबंधित रूप में, अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए उपाय करने की,

शक्ति होगी।

[सं० 25-7-82-सी० ए० II (ओडीवी)/सी०VI(ii)]

के० सी० एम० आचार्य, अपर सचिव

OILSEEDS INDUSTRY AND VEGETABLE OILS INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983 (29 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title nad commencement.—(1) These rules may be called the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board Act, 1983 (29 of 1983) ;

(b) "committee" means any of the committee appointed by the Board under section 8 ;

(c) "Secretary" means the secretary appointed under subsection (3) of section 6 ;

(d) "section" means a section of the Act ;

(e) The words and expressions used and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

The Board and its members

3. Manner of filling vacancies among members.—(1) The Central Government may make consultations, as it may think fit, before appointing the representatives of the interests specified in clauses (f), (g), (k), (l), (m), (n) and (o) of sub-section (4) of section 4.

(2) When a member of the Board other than an ex-officio member, dies or resigns or is deemed to have resigned or is removed from office or becomes incapable of acting, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person to fill that vacancy :

Provided that where the vacancy is one which was held by the outgoing member by virtue of his membership of Parliament under clause (e) of sub-section (4) of section 4, the appointment of the next incumbent of that vacancy shall be made on the basis of fresh election by that House of Parliament to which the outgoing member belonged.

4. Term of office of members.—(1) Save as hereinafter provided,—

(i) a member, other than an ex-officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his appointment ;

(ii) a member elected under clause (e) of sub-section (4) of section 4 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the House of Parliament by which he was so elected ;

(iii) a member appointed under clauses (1), (m), (n) and (o) of sub-section (4) of section 4 shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category or interest from which he was so appointed :

Provided that a member shall be eligible for re-appointment.

(2) A person appointed to fill a casual vacancy under sub-rule (2) of rule 3 shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occurred.

5. Resignation.—(1) The office of a member, other than an ex-officio member, shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(2) The power to accept the resignation of a member under sub-rule (1) shall vest in the Chairman, who on accepting the resignation, shall report that to the Board at its next meeting.

6. Removal from Board.—The Central Government may remove any member from office,—

(a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or

(b) if he is an undischarged insolvent ; or

(c) if he is convicted of an offence involving moral turpitude ; or

(d) if, without the leave of the Chairman, he fails to attend three consecutive meetings of the Board.

7. Absence from India.—Before a member of the Board goes out of India,—

(a) he shall intimate the Secretary the date of his departure from and the date of his expected return to India ;

(b) if he intends to be absent from India for a period longer than six months, he shall tender his resignation.

8. Membership roll.—The Secretary shall keep a record of the names of members and their addresses.

9. Change of address.—A member shall keep the Secretary informed of any change in his address and if he fails to inform the change of address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be his address.

CHAPTER III

Travelling and other allowances to the members of the Board/Committees under the Board and the persons associated by the Board.

10. Travelling and other allowances to members of the Board and its committees and persons associated with the Board under sub-section (7) of section 4 or co-opted as a member of its committees under sub-section (4) of section 8—(1) A member of the Board or its committee or a person associated with the Board under sub-section (7) of section 4 or a person co-opted as a member of a committee under sub-section (4) of section 8, other than a Government servant, shall be entitled to draw in respect of any journey performed by him for the purpose of attending a meeting of the Board or of a duly constituted committee thereof, or for the purpose of discharging any duty assigned to him by the Board or the committee concerned,

travelling allowance and daily allowance at the highest rate admissible to Government servants of the first grade under the rules and orders made by the Central Government and for the time being in force :

Provided that, the payment of travelling allowance and daily allowance to a member who is a Member of the Parliament or a Member of a State Legislature shall be regulated in accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 or the respective provisions of law pertaining to the Members of the concerned State Legislature.

(2) In the case of any journey performed by an official of the Central Government or the State Government specially nominated by the Board to serve on any ad hoc committee or any other committee or to attend to any other business of the Board, the travelling and daily allowances admissible to him shall be payable by the Board at the rates admissible to him under the rules of the Government under which he is for the time being employed.

(3) No travelling allowances or daily allowance shall be allowed to a member of the Board or its committee or any other person associated by the Board or co-opted by its committee unless he certifies that he has not drawn any travelling or daily allowance from any other source in respect of the journey and halt for which the claim is made.

(4) Travelling allowance shall be payable from the usual place of residence of a member or the person entitled under these rules to the place of the meeting or the place where he has gone to attend to any business of the Board or any of its committees and back to his place of residence :

Provided that, when the journey commences from or the return journey terminates at any place other than his usual place of residence, the travelling allowance shall be limited to the amount that would have been payable had the journey commenced from or terminated at the usual place of residence ; or to the amount payable in respect of the actual journey undertaken whichever is less :

Provided further that, in special circumstances and with previous approval of the Central Government, the Chairman may grant travelling allowance from places other than the usual place of residence of a member.

(5) The Secretary shall be the controlling officer for the purpose of trvelling and daily allowance of the members of the Board or of any committee or the persons associated with the Board or co-opted as member of any committee.

11. Conveyance Allowance.—No conveyance allowance for attending meetings of the Board or any of the committees of the Board or for attending to any other business of the Board shall be paid to those members or persons who draw travelling or daily allowance :

Provided that a member or a person who is resident at a place where the meeting of the Board or any of the committees is held or where any other business of the Board is transacted, may be paid the actual expenditure incurred on conveyance by him subject to a maximum of rupees ten per day.

12. Payment of fees.—Fees may be paid upto a limit of Rs. 1000 to a person associated by the Board or to a person co-opted as a member of a committee of the Board for special work of occasional or intermittent character done in furtherance of the objectives of the Board and in compliance with any of the povisions of the Act :

Provided that the admissibility of fees and its quantum in each case will be decided in accordance with the relevant rules and orders framed by the Central Government :

Provided further that fees beyond the limit of Rs. 1000 to one person during a year can be sanctioned only with the prior approval of the Chairman.

13. Travelling and daily allowances, etc. for journey undertaken outside India.—No travelling allowance for any journey undertaken outside India shall be paid to any member of the Board or any committee or any person associated with the Board or co-opted as member of any committee :

Provided that, if any member of the Board or any committee with the previous consent of the Central Government, travels outside India in the interest of the Board, he shall be entitled to receive travelling and other allowances at such rates as may be sanctioned by the Central Government from time to time for non-official members of a delegation sent by it outside India.

CHAPTER IV

Powers to incur expenditure

14. Power to incur expenditure.—(1) Subject to the provisions of the Act and these rules and the rules made and orders issued by the Central Government relating to revenue and expenditure for the time being in force, the Board may incur such expenditure as it may think fit on items provided for and within amounts sanctioned by the Central Government, in the budget.

(2) The re-appropriations between sub-heads and heads of expenditure may be made by the Board.

(3) The Board shall not incur expenditure outside India on any item without the previous sanction of the Central Government.

15. Contracts.—(1) The Board may enter into any contract for the discharge of the functions entrusted to it under the Act :

Provided that—

(a) every contract which extends over a period of more than three years or involves an expenditure in excess of rupees one lakh and

(b) every agreement or contract for technical collaboration or consultation services with firms or foreign Governments shall require the previous sanction of the Central Government.

(2) Contracts shall not be binding on the Board unless they are executed by the Executive Director or any officer authorised by the Board.

(3) Neither the Executive Director nor any officer of the Board nor any member thereof shall be pesonally liable under any assurances or contracts made by the Board and any liability arising under such assurances or contract shall be discharged from the moneys at the disposal of the Board.

16. Financial transactions in general.—Except as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Treasury Rules, the Delegation of Financial Power Rules, 1978 and the General Financial Rules, 1963 of the Central Government, for the time being in force, shall, subject to such modifications or adaptations as may be made by the Board therein with the previous approval of the Central Government apply to all financial transactions of the Board.

17. Powers and duties of Executive Director.—(1) The Executive Director shall as the Chief Executive of the Board, be responsible for the proper functioning of the Board, implementing the Board's policies and the discharge of its functions as provided under the Act and the duties under these rules and the regulations framed by the Board.

(2) Subject to the provisions of these rules the Executive Director may delegate his powers under this rule to any other officer of the Board.

(3) The Executive Director shall have the power to grant leave to all officers and employees of the Board and may delegate this power to any other officer of the Board subject to such conditions as he thinks fit.

(4) The Executive Director shall have power :—

(i) to incur expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the maintenance and working of the office of the Board within such limits as may be laid down by the Board; and

(ii) to carry out the measures in furtherance of the objects of the Act, as provided under section 9.

[No. 25-7/82-CA. II (DDB)/CA VII (ii)]
K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.

1533 GI/83—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984

travelling allowance and daily allowance at the highest rate admissible to Government servants of the first grade under the rules and orders made by the Central [illegible] and for the

Provided that if any member of the